भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2808

दिनांक 18 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सिंचाई सुविधा

2808. श्री नीरज डांगी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितनी परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है और कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत जल संकटग्रस्त और भूजल की कमी वाले खंडों/जिलो में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रेला योजना है, इसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं, जो कि नामत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) है, इनका कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: (i) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। एचकेकेपी के उप-घटक सीएडी एवं डब्ल्यूएम को एआईबीपी के साथ समान रूप से कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, दिसंबर, 2021 में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। तथापि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत भूजल घटक को वर्ष 2021-22 तक के लिए केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अनंतिम रूप से स्वीकृति दी गई है, जिसे बाद में चल रहे कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है।

वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा किया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक, जो पहले पीएमकेएसवाई का एक घटक था, को वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्यों को जारी केंद्रीय सहायता के साथ वर्ष 2016 से अब तक हुई प्रगति और लाभार्थियों/लक्षित लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	**पीएमकेएसवाई के घटक**	**वर्ष 2016-17 से जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)**	**वर्ष 2016-17 से हुई वास्तविक प्रगति**	**लक्षित लाभार्थियों/लाभार्थियों की संख्या (हज़ारों में)**
1	पीएमकेएसवाई - एआईबीपी	19,080.76	66 वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। 29.22 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित/पुनर्स्थापित की गई है।	17300.25
2	पीएमकेएसवाई - सीएडीडब्ल्यूएम	3,190.91	17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 22.21 लाख हेक्टेयर की कृषि योग्य कमान क्षेत्र को विकसित किया गया है।	
3	पीएमकेएसवाई - एचकेकेपी- एसएमआई एवं आरआरआर	5,705.61	3,462 योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिनसे 4.96 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।	रखरखाव नहीं किया गया है
4	पीडीएमसी	23,232.44	सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 96.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।	8614.05
5	पीएमकेएसवाई - डब्ल्यूडीसी	12,432.09	92.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 9,434 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।	1342.78
6	पीएमकेएसवाई - जीडब्ल्यू	766.02	29779 कुओं के निर्माण के साथ 88.55 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।	67.91

पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी), का क्रियान्वयन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे उपयुक्त प्रौद्योगिकीय कार्यकलापों को बढ़ावा देते हुए जल की कमी वाले और भूजल की कमी वाले ब्लॉकों/जिलों सहित कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर बल देता है एवं सब्सिडी के माध्यम से किसानों को जल बचत और संरक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

*****